

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — डप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1386] No. 1386] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2007/कार्तिक 21, 1929

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2007/KARTIKA 21, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2007

का.आ. 1907(अ).—यत:, यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 8 अवसूबर, 2007 की सं का.बा. 1721(अ) की सार्वविक सूचन द्वार फास्त के सवस्त, असावारण में प्रकारित किया गया जिसमें उक्त नीटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- यतः, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विधार किया गया तथा यतः, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।
- 3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :- संशोधन :

जोन "डी" में राउज एवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली पर 2 एकड़ (0.8 हेक्टे) माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू–उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाए :—

स्थिति	क्षेत्र (1	भू-उपयोग एम पी डी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
राउज एवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	0.8 हेक्टे (2 एकड़)	सरकारी कार्यालय	सरकारी और अर्ध- सरकारी सुविधाएं	पूर्व : सङ्क (20 मीटर मार्गाधिकार) पश्चिम : पॉकेट 9 (सरकारी उपयोग)
All Control of the Co				उत्तर : कोटला रोड (30.48 मीटर मार्गाधिकार)
			in	दक्षिण : दीनदयाल उपाध्याय मार्ग (36.58 मीटर मार्गाधिकार)
		· · · · ·	<u> </u>	Fuel

[सं. के-13011/12/2007-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2007

- S.O. 1907(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Dehi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1721(E) dated 8th October, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modification were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India:—

Modification:

The land use of the following area measuring 2 acres (0.8 ha.) at Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi in Zone "D" be changed as per description listed below:

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use Changed	Boundaries
Rouse Avenue,	0.8 ha.	Government	Public and Semi-	East: Road (20 m R/W) West: Pocket 9 (Govt. Use) North: Kotla Road (30.48 m R/W) South: Deen Dayal Upadhaya Marg (36.58 m R/W)
DDU Marg	(2 acres)	Office	Public Facilities	

[No. K-13011/12/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.